सेवा मे ,

स्मरण पत्र 2

श्रीमान सचिव महोदय ,
यू.आई.टी. कोटा , कोटा

विषय :- फ़ैक्टरी के धुए व दुर्गन्ध से निजात दिलाने के सम्बंध में ।

दिनांक 02.08.2021

उपरोक्त विषयान्तगर्त हम बापू नगर कच्ची बस्ती बालिता रोड दो खम्बो के पास कुन्हाडी , कोटा (राजस्थान) रहने वाले गरीब आदमी है । हमारे घरों के पास एक फ़ैक्टरी लगी हुई है इस फ़ैक्टरी के धुए व दुर्गन्ध से हमारा जीना असंभव हो गया है हमे सांस लेने मे भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है हमारे बच्चे दिन भर इस जहरीले वातावरण मे रहते है । फ़ैक्टरी के धुए व दुर्गन्ध से यहा का पर्यावरण काफी दूषित हो गया है ।

यह फ़ैक्टरी अवेध तरीके से यहाँ पर चलाई जा रही है जबकि यह रिहायशी क्षेत्र है और यहाँ कोई और फ़ैक्टरी भी नहीं है लेकिन राजनीति रसूख होने के कारण इस पर कोई कार्यवाही आज तक नही हो पाई है । जो भी इसकी शिकायत करने की कोशिश करता है तो उसको मारने धमकिया दी जाती है गुंडे भेजे जाते है जिससे इस फ़ैक्टरी के आसपास रहने वालों मे भय का माहोल रहता है हम चाहकर भी सामने से कुछ नही बोल पाते है ।

हमारी समस्या का समाधान करें तथा फ़ैक्टरी के धुए व दुर्गन्ध से हमे मुक्ति दिलावे । इस फ़ैक्टरी को दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश फरमावे जिससे हम सुकून का जीवन जी सके ।

श्रीमान राकेश जी गुप्ता, (क्षेत्रीय अधिकारी) , राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल , कोटा की रिपोर्ट के अनुसार यह फ़ेक्टरी अवेध तरीके से यहाँ पर चलाई जा रही है जबकि यह रिहायशी क्षेत्र है दी और उन्होने इस फ़ैक्टरी को बंद करने के अनुषंशा भी कर रखी है (आदेश संलग्न है) तथा इस सम्बंध में राजस्थान पत्रिका रिपोर्ट 04.07.21 मे भी रिपोर्ट छापी गई थी परंतु आज दिनांक तक कुछ नही हुआ है तथा आये दिन हमे मारने धमकिया दी जा रही है गुंडे भेजे जा रहे है ।

आप से करबद्ध निवेदन है की इस फ़ैक्टरी को तुरंत बंद करवावे जिससे हमारा जीवन बच सके ।

आपका बहुत बहुत धन्यवाद

संलग्न - 1. राजस्थान पत्रिका रिपोर्ट 04.07.21
2. श्रीमान राकेश जी गुप्ता, (क्षेत्रीय अधिकारी) , राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल , कोटा विसिट रिपोर्ट व आदेश

मोहन
रामगोपाल
कंचन
राकेश
मोहनलाल

मोहनलाल मेघवाल
पार्षद-वार्ड नं. 68
नगर निगम, कोटा उत्तर

आस पास के लोग
बापू नगर कच्ची बस्ती बालिता रोड दो खम्बो के पास
युनीक अकेडमी स्कूल व खम्बो के पास
कुन्हाडी , कोटा (राजस्थान)

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

रीना
रमेश

- श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर साहब
- श्रीमान पुलिस अधीक्षक साहब , कोटा , राजस्थान
- श्रीमान राकेश जी गुप्ता, (क्षेत्रीय अधिकारी) , राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल , कोटा

बलविन्दर सिंह
पार्षद वार्ड नं. 49
नगर निगम कोटा उत्तर

Phone 0744 2500660
dycifb.kota@rajasthan.gov.in

15

रजि0 ए0डी0

राजस्थान सरकार
कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग
कार्यालय उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, 436 शास्त्रीनगर, दादाबाड़ी, कोटा

क्रमांक : 506-507 दिनांक : 25-10-2021

1. श्री मुदित शुक्ला पुत्र श्री नवीन शुक्ला, कारखाना मालिक
मै0 आर.जे. फूड प्रोडक्ट,
2 खम्मों के पास, बापूनगर,
कुन्हाड़ी कोटा।

2. श्री नवीन शुक्ला, कारखाना व्यवस्थापक
मै0 आर.जे. फूड प्रोडक्ट,
2 खम्मों के पास, बापूनगर,
कुन्हाड़ी कोटा।

विषय :– आपकी ईकाई का शिकायत पर निरीक्षण दिनांक 21/10/2021 के सम्बन्ध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि आपके उपरोक्त कारखाने मै0 आर.जे. फूड प्रोडक्ट, 2 खम्मों के पास, बापूनगर, कुन्हाड़ी कोटा का निरीक्षण निरीक्षक कारखाना (रसायन), कोटा द्वारा दिनांक 21–10–2021 को सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त परिवाद दिनांक 05–10–2021 की जाँच के सन्दर्भ में निरीक्षण किया गया।

वक्त निरीक्षण कारखाने में 6 कर्मकार 10 किलोवाट की सहायता से चेरी बनाने एवं इससे सम्बन्धित कार्य करते पाये गये। वक्त जाँच आपकी उपरोक्त ईकाई में एक स्टीम जनरेटर स्थापित पाया, जो वक्त जाँच बन्द पाया। आपके द्वारा बताया गया कि उपरोक्त स्टीम जरनेटर से 3 किग्रा./वर्ग सेमी से 4 किग्रा./वर्ग सेमी के दवाव के साथ स्टीम जनरेटर कर प्रोसेस में काम में ली जाती है। वक्त जाँच श्री नवीन शुक्ला, जिन्होंने स्वयं को कारखाना प्रवन्धक बताया, के सामने इस स्टीम जनरेटर की जल भराव क्षमता 68 लीटर मापी गई।

बॉयलर अधिनियम 1923 के प्रावधानों के तहत यह स्टीम जनरेटर बॉयलर की परिभाषा में आता है, किन्तु इसका निर्माण बॉयलर अधिनियम 1923, भारतीय बॉयलर नियमावली, 1950 के प्रावधानों के तहत नहीं होकर यह बॉयलर अधिनियम 1923 के तहत बिना पंजीकृत बिना सर्टिफाईड कराये चलाया जा रहा है।

अतः बॉयलर अधिनियम 1923 की धारा 6 के तहत आपको आदेश दिये जाते हैं कि आप उपरोक्त अनरजिस्टर्ड एवं अनसर्टिफाईड गैर कानूनी बॉयलर/स्टीम जनरेटर को बन्द कर दें एवं नहीं चलावे तथा विधि अनुसार बॉयलर अधिनियम 1923 के प्रावधानों के तहत निर्मित बॉयलर ही पंजीयन कराकर सर्टिफिकेट प्राप्त कर चलाया जावे।

25/10/2021
(जे.आर.गौतम)
उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स,
कोटा O/c

Scanned by CamScanner

सेवा मे ,

श्रीमान शांति कुमार धारीवाल जी ,
केबिनेट मंत्री (स्वायत्त शासन नगरीय विकास एवं आवासन विभाग) ,
जयपुर , राजस्थान सरकार

विषय :- फ़ेक्टरी के धुए व दुर्गन्ध से निजात दिलाने के सम्बंध में । दिनांक 25.10.2021

उपरोक्त विषयान्तगर्त बापू नगर कच्ची बस्ती बलिता रोड दो खम्बो के पास कुन्हाडी , कोटा (राजस्थान) रहने वाले गरीब आदमी है । इनके घरों के पास एक फ़ेक्टरी लगी हुई है इस फ़ेक्टरी के धुए व दुर्गन्ध से इनका जीना असंभव हो गया है इन्हे सांस लेने मे भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है इनके बच्चे दिन भर इस जहरीले वातावरण मे रहते है । फ़ेक्टरी के धुए व दुर्गन्ध से यहा का पर्यावरण काफी दूषित हो गया है ।

यह फ़ेक्टरी अवेध तरीके से यहाँ पर चलाई जा रही है जबकि यह रिहायशी क्षेत्र है और यहाँ कोई और फ़ेक्टरी भी नहीं है लेकिन इस पर कोई कार्यवाही आज तक नही हो पाई है । जो भी इसकी शिकायत करने की कोशिश करता है तो उसको मारने धमकिया दी जाती है गुंडे भेजे जाते है जिससे इस फ़ेक्टरी के आसपास रहने वालों मे भय का माहोल रहता है यह चाहकर भी सामने से कुछ नही बोल पाते है ।

इनकी समस्या का समाधान करें तथा फ़ेक्टरी के धुए व दुर्गन्ध से इन्हे मुक्ति दिलावे । इस फ़ेक्टरी को दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश फरमावे जिससे यह सुकून का जीवन जी सके ।

श्रीमान राकेश जी गुप्ता, (क्षेत्रीय अधिकारी) , राजस्थान राज्य प्रदूषण **नियंत्रण मण्डल** , कोटा की रिपोर्ट **के** अनुसार यह फ़ेक्टरी अवेध तरीके से यहाँ पर चलाई जा रही है जबकि यह रिहायशी क्षेत्र है दी और उन्होने इस फ़ेक्टरी को बंद करने **के** अनुषंशा **भी** कर रखी है (आदेश संलग्न है) तथा इस सम्बंध में राजस्थान **पत्रिका रिपोर्ट 04.07.21 मे भी** रिपोर्ट छापी गई **थी** परंतु आज दिनांक तक कुछ नही हुआ है तथा आये दिन हमे मारने धमकिया दी जा रही है गुंडे **भेजे जा रहे है ।**

"प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 में दिये गए 'जीवन जीने के **अधिकार' में निहित है ।**

हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति से इनके **व बच्चों** में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । इससे दमा, सर्दी, अंधापन, श्रवण शक्ति कमजोर होना, त्वचा रोग आदि बीमारियाँ पैदा हो रही है इसकी जिम्मेवारी किसकी है । प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार है जो उसे और उसके परिवार के स्वास्थ्य, कल्याण और विकास के लिए आवश्यक है। यह अवेध फ़ेक्टरी इसमे बाधा बन रही है भारतीय संविधान में प्रदत्त मोलिक अधिकारों की **रक्षा करे ।**

आप से करबद्ध निवेदन है की इस फ़ेक्टरी को तुरंत बंद करवावे जिससे इनका जीवन बच सके ।

आपका बहुत बहुत धन्यवाद

मोहनलाल

मोहनलाल मेघवाल
पार्षद-वार्ड नं. 68
नगर निगम, कोटा उत्तर

मोहनलाल
मोहन लाल (वार्ड पार्षद)
बापू नगर कच्ची बस्ती बलिता रोड दो खम्बो के पास
युनीक अकेडमी स्कूल व खम्बो के पास
कुन्हाडी , कोटा (राजस्थान)

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- श्रीमान पुलिस अधीक्षक साहब , कोटा (राजस्थान)
- श्रीमान सचिव महोदय , यू.आई.टी. कोटा , कोटा

सेवा मे ,

श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर साहब,
कोटा , (राजस्थान)

स्मरण पत्र 2

विषय :- फ़ेक्टरी के धुए व दुर्गन्ध से निजात दिलाने के सम्बंध में ।

दिनांक 02.08.2021

उपरोक्त विषयान्तगर्त हम बापू नगर कच्ची बस्ती बालिता रोड दो खम्बो के पास कुन्हाडी , कोटा (राजस्थान) रहने वाले गरीब आदमी है । हमारे घरों के पास एक फ़ेक्टरी लगी हुई है इस फ़ेक्टरी के धुए व दुर्गन्ध से हमारा जीना असंभव हो गया है हमे सांस लेने मे भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है हमारे बच्चे दिन भर इस जहरीले वातावरण मे रहते है । फ़ेक्टरी के धुए व दुर्गन्ध से यहा का पर्यावरण काफी दूषित हो गया है ।

यह फ़ेक्टरी अवेध तरीके से यहाँ पर चलाई जा रही है जबकि यह रिहायशी क्षेत्र है और यहाँ कोई और फ़ेक्टरी भी नहीं है लेकिन राजनीति रसूख होने के कारण इस पर कोई कार्यवाही आज तक नही हो पाई है । जो भी इसकी शिकायत करने की कोशिश करता है तो उसको मारने धमकिया दी जाती है गुंडे भेजे जाते है जिससे इस फ़ेक्टरी के आसपास रहने वालों मे भय का माहोल रहता है हम चाहकर भी सामने से कुछ नही बोल पाते है ।

हमारी समस्या का समाधान करें तथा फ़ेक्टरी के धुए व दुर्गन्ध से हमे मुक्ति दिलावे । इस फ़ेक्टरी को दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश फरमावे जिससे हम सुकून का जीवन जी सके ।

श्रीमान राकेश जी गुप्ता, (क्षेत्रीय अधिकारी) , राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल , कोटा की रिपोर्ट के अनुसार यह फ़ेक्टरी अवेध तरीके से यहाँ पर चलाई जा रही है जबकि यह रिहायशी क्षेत्र है दी और उन्होने इस फ़ेक्टरी को बंद करने के अनुशंशा भी कर रखी है (आदेश संलग्न है) तथा इस सम्बंध में राजस्थान पत्रिका रिपोर्ट 04.07.21 मे भी रिपोर्ट छापी गई थी परंतु आज दिनांक तक कुछ नही हुआ है तथा आये दिन हमे मारने धमकिया दी जा रही है गुंडे भेजे जा रहे है ।

आप से करबद्ध निवेदन है की इस फ़ेक्टरी को तुरंत बंद करवावे जिससे हमारा जीवन बच सके ।

आपका बहुत बहुत धन्यवाद

संलग्न - 1. राजस्थान पत्रिका रिपोर्ट 04.07.21
2. श्रीमान राकेश जी गुप्ता, (क्षेत्रीय अधिकारी) , राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल , कोटा विसिट रिपोर्ट व आदेश

मोहन Amit राजगोपाल
कंजरा
राकेश Rajesh
महेन्द्र
Mona

आस पास के लोग
बापू नगर कच्ची बस्ती बालिता रोड दो खम्बो के पास
युनीक अकेडमी स्कूल व खम्बो के पास
कुन्हाडी , कोटा (राजस्थान)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु - धर्मेन्द्र

शीला सुगना रमेश

- श्रीमान सचिव महोदय, यू.आई.टी. कोटा , कोटा
- श्रीमान पुलिस अधीक्षक साहब , कोटा , राजस्थान
- श्रीमान राकेश जी गुप्ता, (क्षेत्रीय अधिकारी) , राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा

बलविन्दर सिंह
पार्षद वार्ड नं. 49
नगर निगम कोटा उत्तर

सेवा मे ,

श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर साहब
नयापुरा , कोटा (राजस्थान)

विषय :- फ़ेक्टरी के धुए व दुर्गन्ध से निजात दिलाने के सम्बंध में ।

दिनांक 25.10.2021

उपरोक्त विषयान्तगर्त बापू नगर कच्ची बस्ती बालिता रोड दो खम्बो के पास कुन्हाडी , कोटा (राजस्थान) रहने वाले गरीब आदमी है । इनके घरों के पास एक फ़ेक्टरी लगी हुई है इस फ़ेक्टरी के धुए व दुर्गन्ध से इनका जीना असंभव हो गया है इन्हे सांस लेने मे भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है इनके बच्चे दिन भर इस जहरीले वातावरण मे रहते है । फ़ेक्टरी के धुए व दुर्गन्ध से यहा का पर्यावरण काफी दूषित हो गया है ।

यह फ़ेक्टरी अवेध तरीके से यहाँ पर चलाई जा रही है जबकि यह रिहायशी क्षेत्र है और यहाँ कोई और फ़ेक्टरी भी नहीं है लेकिन राजनीति रसूख होने के कारण इस पर कोई कार्यवाही आज तक नही हो पाई है । जो भी इसकी शिकायत करने की कोशिश करता है तो उसको मारने धमकिया दी जाती है गुंडे भेजे जाते है जिससे इस फ़ेक्टरी के आसपास रहने वालों मे भय का माहोल रहता है यह चाहकर भी सामने से कुछ नही बोल पाते है ।

इनकी समस्या का समाधान करें तथा फ़ेक्टरी के धुए व दुर्गन्ध से इन्हे मुक्ति दिलावे । इस फ़ेक्टरी को दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश फरमावे जिससे यह सुकून का जीवन जी सके ।

श्रीमान राकेश जी गुप्ता, (क्षेत्रीय अधिकारी) , राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल , कोटा की रिपोर्ट के अनुसार यह फ़ेक्टरी अवेध तरीके से यहाँ पर चलाई जा रही है **जबकि** यह रिहायशी क्षेत्र है दी और उन्होने इस फ़ेक्टरी को बंद करने के अनुषंशा भी कर रखी है (आदेश संलग्न है) तथा इस सम्बंध में राजस्थान पत्रिका रिपोर्ट 04.07.21 मे भी रिपोर्ट छापी गई **थी** परंतु आज दिनांक तक कुछ नही हुआ है तथा आये दिन हमे मारने धमकिया दी जा रही है गुंडे **भेजे जा रहे है ।**

आम लोगों को हो रही परेशानी के मद्देनजर तुरंत कार्यवाही करें अगर आपके द्वारा कार्यवाही नही की जाती है तो कलेक्टर ऑफिस मे उग्र धरना/ प्रदर्शन किया जाएगा उसकी पूर्ण जीम्मेवारी आप की होगी जब तक मैं हूं जनता के लिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दूंगा ।

"प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 में दिये गए 'जीवन जीने के अधिकार' में निहित है ।

हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति से इनके व बच्चों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । इससे दमा, सर्दी, अंधापन, श्रवण शक्ति कमज़ोर होना, त्वचा रोग आदि बीमारियाँ पैदा हो रही है इसकी जिम्मेवारी किसकी है । प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार है जो उसे और उसके परिवार के स्वास्थ्य, कल्याण और विकास के लिए आवश्यक है । यह अवेध फ़ेक्टरी इसमे बाधा बन रही है भारतीय संविधान में प्रदत्त मोलिक अधिकारों की रक्षा करे ।

आप से करबद्ध निवेदन है की इस फ़ेक्टरी को तुरंत बंद करवावे जिससे इनका जीवन बच सके ।

आपका बहुत बहुत धन्यवाद

मोहनलाल

मोहनलाल मेघवाल
पार्षद-वार्ड नं. 68
नगर निगम, कोटा उत्तर

मोहनलाल

मोहन लाल (वार्ड पार्षद 68)
बापू नगर कच्ची बस्ती बालिता रोड दो खम्बो के पास
युनीक अकेडमी स्कूल व खम्बो के पास
कुन्हाडी , कोटा (राजस्थान)

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- श्रीमान पुलिस अधीक्षक साहब , कोटा (राजस्थान)
- श्रीमान सचिव महोदय , यू.आई.टी. कोटा , कोटा

सेवा मे ,

श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय ,

कोटा , राजस्थान

विषय :- फ़ेक्टरी के धुए व दुर्गन्ध से निजात दिलाने के सम्बंध में । दिनांक 26.07.2021

उपरोक्त विषयान्तगर्त हम बापू नगर कच्ची बस्ती बलिता रोड दो खम्बो के पास कुन्हाडी , कोटा (राजस्थान) रहने वाले गरीब आदमी है । हमारे घरों के पास एक फ़ेक्टरी लगी हुई है इस फ़ेक्टरी के धुए व दुर्गन्ध से हमारा जीना असंभव हो गया है हमे सांस लेने मे भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है हमारे बच्चे दिन भर इस जहरीले वातावरण मे रहते है । फ़ेक्टरी के धुए व दुर्गन्ध से यहा का पर्यावरण काफी दूषित हो गया है ।

यह फ़ेक्टरी अवेध तरीके से यहाँ पर चलाई जा रही है जबकि यह रिहायशी क्षेत्र है और यहाँ कोई और फ़ेक्टरी भी नहीं है लेकिन राजनीति रसूख होने के कारण इस पर कोई कार्यवाही आज तक नही हो पाई है । जो भी इसकी शिकायत करने की कोशिश करता है तो उसको मारने धमकिया दी जाती है गुंडे भेजे जाते है जिससे इस फ़ेक्टरी के के आसपास रहने वालों मे भय का माहोल रहता है हम चाहकर भी सामने से कुछ नही बोल पाते है ।

हमारी समस्या का समाधान करें तथा फ़ेक्टरी के धुए व दुर्गन्ध से हमे मुक्ति दिलावे । इस फ़ेक्टरी को दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश फरमावे जिससे हम सुकून का जीवन जी सके ।

श्रीमान राकेश जी गुप्ता, (क्षेत्रीय अधिकारी) , राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल , कोटा की रिपोर्ट के अनुसार यह फ़ेक्टरी अवेध तरीके से यहाँ पर चलाई जा रही है जबकि यह रिहायशी क्षेत्र है दी और उन्होने इस फ़ेक्टरी को बंद करने के अनुषंशा भी कर रखी है (आदेश संलग्न है) तथा इस सम्बंध में राजस्थान पत्रिका रिपोर्ट 04.07.21 मे भी रिपोर्ट छापी गई थी परंतु आज दिनांक तक कुछ नही हुआ है तथा आये दिन हमे मारने धमकिया दी जा रही है गुंडे भेजे जा रहे है ।

आप से करबद्ध निवेदन है की इस फ़ेक्टरी को तुरंत बंद करवावे जिससे हमारा जीवन बच सके ।

आपका बहुत बहुत धन्यवाद

संलग्न - 1. राजस्थान पत्रिका रिपोर्ट 04.07.21

2. श्रीमान राकेश जी गुप्ता, (क्षेत्रीय अधिकारी) , राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल , कोटा विसिट रिपोर्ट व आदेश

मोहन

कन्हैया

मोहनलाल

रामगोपाल

मोहनलाल मेघवाल
पार्षद-वार्ड नं. 68
नगर निगम, कोटा उत्तर

राकेश सीताराम

आस पास के लोग
बापू नगर कच्ची बस्ती बलिता रोड दो खम्बो के पास
युनीक अकेडमी स्कूल व खम्बो के पास
कुन्हाडी , कोटा (राजस्थान)

रमेश

रेखा

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर साहब
- श्रीमान पुलिस अधीक्षक साहब , कोटा , राजस्थान
- श्रीमान राकेश जी गुप्ता, (क्षेत्रीय अधिकारी) , राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल , कोटा
- श्रीमान सचिव महोदय, यू.आई.टी., कोटा

[illegible] सिंह
पार्षद वार्ड नं. 49
नगर निगम कोटा उत्तर

सेवा मे ,

श्रीमान थानाधिकारी महोदय ,

कुन्हाडी , कोटा (राजस्थान)

विषय :- फ़ेक्टरी के धुए व दुर्गन्ध से निजात दिलाने के सम्बंध में । दिनांक 25.10.2021

उपरोक्त विषयान्तगर्त बापू नगर कच्ची बस्ती बालिता रोड दो खम्बो के पास कुन्हाडी , कोटा (राजस्थान) रहने वाले गरीब आदमी है । इनके घरों के पास एक फ़ेक्टरी लगी हुई है इस फ़ेक्टरी के धुए व दुर्गन्ध से इनका जीना असंभव हो गया है इन्हे सांस लेने मे भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है इनके बच्चे दिन भर इस जहरीले वातावरण मे रहते है । फ़ेक्टरी के धुए व दुर्गन्ध से यहा का पर्यावरण काफी दूषित हो गया है ।

यह फ़ेक्टरी अवेध तरीके से यहाँ पर चलाई जा रही है जबकि यह रिहायशी क्षेत्र है और यहाँ कोई और फ़ेक्टरी भी नहीं है लेकिन राजनीति रसूख होने के कारण इस पर कोई कार्यवाही आज तक नही हो पाई है । जो भी इसकी शिकायत करने की कोशिश करता है तो उसको मारने धमकिया दी जाती है गुंडे भेजे जाते है जिससे इस फ़ेक्टरी के आसपास रहने वालों मे भय का माहोल रहता है यह चाहकर भी सामने से कुछ नही बोल पाते है ।

इनकी समस्या का समाधान करें तथा फ़ेक्टरी के धुए व दुर्गन्ध से इन्हे मुक्ति दिलावे । इस फ़ेक्टरी को दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश फरमावे जिससे यह सुकून का जीवन जी सके ।

श्रीमान राकेश जी गुप्ता, (क्षेत्रीय अधिकारी) , राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल , कोटा की रिपोर्ट के अनुसार यह फ़ेक्टरी अवेध तरीके से यहाँ पर चलाई जा रही है जबकि यह रिहायशी क्षेत्र है दी और उन्होने इस फ़ेक्टरी को बंद करने के अनुषंशा भी कर रखी है (आदेश संलग्न है) तथा इस सम्बंध में राजस्थान पत्रिका रिपोर्ट 04.07.21 मे भी रिपोर्ट छापी गई थी परंतु आज दिनांक तक कुछ नही हुआ है तथा आये दिन हमे मारने धमकिया दी जा रही है गुंडे भेजे जा रहे है ।

आम लोगों को हो रही परेशानी के मद्देनजर तुरंत कार्यवाही करें अगर आपके दवारा कार्यवाही नही की जाती है तो कलेक्टर ऑफिस मे उग्र धरना/ प्रदर्शन किया जाएगा उसकी पूर्ण जीम्मेवारी आप की होगी जब तक मैं हूं जनता के लिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दूंगा ।

"प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 में दिये गए 'जीवन जीने के अधिकार' में निहित है ।

हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति से इनके व बच्चों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । इससे दमा, सर्दी, अंधापन, श्रवण शक्ति कमज़ोर होना, त्वचा रोग आदि बीमारियाँ पैदा हो रही है इसकी जिम्मेवारी किसकी है । प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार है जो उसे और उसके परिवार के स्वास्थ्य, कल्याण और विकास के लिए आवश्यक है। यह अवेध फ़ेक्टरी इसमे बाधा बन रही है भारतीय संविधान में प्रदत्त मोलिक अधिकारों की रक्षा करे ।

आप से करबद्ध निवेदन है की इस फ़ेक्टरी को तुरंत बंद करवावे जिससे इनका जीवन बच सके ।

आपका बहुत बहुत धन्यवाद

बलविंदर सिंह (वार्ड पार्षद 49)
बापू नगर कच्ची बस्ती बालिता रोड दो खम्बो के पास
युनीक अकेडमी स्कूल व खम्बो के पास
कुन्हाडी , कोटा (राजस्थान)

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- श्रीमान पुलिस अधीक्षक साहब , कोटा (राजस्थान)

Action History

#	From	To	Action	Date	Remarks	Doc.
1	Dharmendra Gautam / 9460006999	-	Grievance Registered	16-Oct-2021	Grievance Registered on 16-Oct-2021	-
2	, , ,	Rajasthan State Pollution Control Board , Regional Officer , (Administration) , Pollution Control Board Regional Office, Kota	Allocated	16-Oct-2021	परिवाद सम्बंधित अधिकारी को अग्रेषित कर दी गयी है	-
3	Rajasthan State Pollution Control Board , Regional Officer , (Administration) , Pollution Control Board Regional Office, Kota	Rajasthan State Pollution Control Board , Member Secretary , (Administration) , Pollution Control Board HO	Transferred	22-Oct-2021	उक्त उद्योग का मंडल के अधिकारियों द्वारा दिनांक 05/07/2021 को निरिक्षण किया गया , जिसमें पाया गया कि उक्त उद्योग रिहायशी इलाके में संचालित है जो कि नगरनिगम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है | अतः दिनांक 24/06/2020 को माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक कार्यवाही विवरण (प्रति संलग्न) तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम -2009 की धारा 218 व धारा 282 के तहत कार्यवाही स्थानीय निकाय द्वारा ही अपेक्षित है | अतः इस परिवाद को समुचित कार्यवाही के लिए नगरनिगम कोटा- उत्तर को अग्रेषित किया जाता है |	